न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 88/2019-20

आवेदक/प्रथम पक्ष – बाल मुकुन्द साहु पिता बुधु साहु
ग्राम–बकसपुर, थाना–कर्रा, जिला–खूँटी।

विपक्षी/द्वितीय पक्ष – 1. अंचल अधिकारी, कर्रा।
2. हरख साहु पिता काशीनाथ साहु
3. कुंजबिहारी साय पिता निलकंठ साय
दोनों ग्राम–लापा, थाना–कर्रा, जिला–खूँटी।

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	**आदेश**	की गई कार्रवाई
22.12.20	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–181R27/18–19 में अंचल अधिकारी, कर्रा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.2018 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–	

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
बकसपुर	कर्रा 02	149	588	0.22

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, कर्रा के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा आवेदक द्वारा विलम्ब से वाद दायर करने संबंधी U/S 5 of the Limitation Act के तहत आवेदन दाखिल किया गया। अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद को अंगीकार किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि आवेदक ने उक्त भूमि हरक साहू वल्द काशीनाथ साहू ग्राम लापा थाना कर्रा एवं कुंजबिहारी साय वल्द निलकंठ साय ग्राम लापा थाना कर्रा से रजिस्ट्री पट्टा सं0 682 दिनांक 07.06.1960 के द्वारा क्रय किया है।

अंचल अधिकारी, कर्रा के प्रतिवेदन अनुसार ऑनलाईन नहीं खुलने एवं केवाला पट्टा प्राप्त नहीं होने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की है।

अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया कि विक्रेता अथवा उनके भैयाद एवं उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति नहीं है। अंचल अधिकारी द्वारा ना तो विवादित जमीन की उचित जांच की गयी है न संबंध पत्र का साक्ष्य लिया गया है तथा बिना सुने दाखिल खारिज का निपटारा कर दिया गया है। अंत में अपील स्वीकार करने की प्रार्थना करते है।

अधिवक्ता के बहस को सूना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन किया। उपरोक्त वाद में विपक्षी का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। उक्त वाद में श्री जेठु साई पिता स्व0 संतु साई ग्राम बकसपुर, थाना कर्रा को इन्टरभेनर बनाया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, कर्रा को Remand करते हुए निर्देश दिया जाता है कि उभय पक्ष एवं इन्टरभेनर के बीच नये सिरे से सुनवाई एवं वांछित कागजात प्राप्त करते हुए दाखिल–खारिज हेतु न्यायसंगत कार्रवाई की जाय।

लेखापित एवं संशोधित

22/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

22/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।